(27)

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

म/निगरानी/टीकमगढ़/भू-रा/2017/3409

प्रकरण क्रमांक /I/2017–टीकमगढ़

कुंवर सिंह कुशवाह (अभिभाषक)
श्री .... द्वारा आज दि. 21-9-2017 को प्रस्तुत
क्लर्क ऑफ कोर्ट 21-9-17
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

कल्लू प्रसाद साहू पुत्र श्री अमान साहू
निवासी– ग्राम धौर्रा तहसील पृथ्वीपुर,
जिला– टीकमगढ़ (म.प्र.) ....आवेदक

बनाम

1. कामता साहू पुत्र श्री परम साहू
2. गोविन्ददास पुत्र श्री परम साहू,
निवासीगण– ग्राम धौर्रा तहसील पृथ्वीपुर,
जिला– टीकमगढ़ (म.प्र.).....अनावेदकगण

कुंवर सिंह कुशवाह (एडवोकेट)
21-9-17
29-9-17

निगरानी आवेदन पत्र धारा 50 म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959 के अंतर्गत प्रस्तुत विरूद्ध आदेश तहसीलदार पृथ्वीपुर के सीमांकन प्रकरण क्र. 31/अ–12/2016–17 आदेश दिनांक 03.08.2017 को पारित।

श्रीमान जी,

निगरानी के आधार निम्न प्रकार प्रस्तुत है –

1. यहकि, अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि विधान क्षेत्राधिकार बाह्य होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है।
2. यहकि, अधीनस्थ न्यायालय ने रिकार्ड की सूक्ष्मता से अध्ययन किये बिना जो आदेश पारित किया है वह स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।
3. यहकि, निगरानीकर्ता के पिता श्री अमान साहू एवं इनके भाई परम साहू पुत्रगण गणेश साहू विवादित आराजी के 1/2 के मूलभूमि स्वामी थे इनके पुत्रों के बीच में उक्त सभी सर्वे नंबरों पर 1/2–1/2 के हिस्सा बांट के अनुसार हर नंबर पर आधे–आधे के मालिक हैं उन सभी नंबरों में से एक खसरा नंबर 806 का सीमांकन पूर्व में दिनांक 06.06.2014 को हो चुका है उक्त नंबर का रकवा रिकार्ड के अनुसार 0.036 रिकार्ड के अनुसार होना था परंतु परिवार के भाईयों ने होने नहीं दिया कहा कि केस में चलने के दौरान सही

कल्लूप्रसाद साहू

(3)

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश – ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक – एक / निगरानी / टीकमगढ़ / भू.रा. / 2017 / 3409 जिला – टीकमगढ़

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
16.10.2017	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री कुंवर सिंह कुशवाह उपस्थित। उन्हें ग्राह्यता के बिन्दु पर सुना गया। आवेदक अधिवक्ता के तर्कों पर विचारं किया एवं प्रकरण का अवलोकन किया। प्रकरण में संलग्न पंचनामा के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रकरण में सीमांकन की कार्यवाही सरहदी कृषकों एवं आवेदक की उपस्थिति में की गई है। जिसमें प्रथम दृष्टया कोई त्रुटि प्रतीत नही होती है। अतः यह निगरानी ग्राह्य योग्य न होने से अग्राह्य की जाती है। प्रशासकीय सदस्य	